

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।

(प्रशासनिक अनुभाग)

आदेश संख्या : 12/2024

आगरा :

दिनांक : 31 जनवरी, 2024

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्रांक 1220/IV-F-82/Allahabad दिनांकित 27.01.2024 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

"1. A Nodal Agency/Nodal Officer at the Level of District Judgeship, to handle the disbursement of allowances, arrears, services, retiral benefits, and grievances for Judicial officers is to be appointed as well as grievances of Judicial officers in this regard in view to ensure a focused and efficient approach for managing financial and administrative aspects."

माननीय न्यायालय से प्राप्त उपरोक्त समयबद्ध निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न तालिका में वर्णित न्यायिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है :-


अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	ई-मेल आईडी
श्री अमरजीत	आहरण एवं वितरण अधिकारी / अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 26, आगरा।	9412750731	khokheramar@gmail.com

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का लेखानुभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त पत्र में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुपालनार्थ नोडल एजेंसी के रूप में तथा नामित न्यायिक अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आदेश की प्रति प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा, पीठासीन अधिकारीगण, वाणिज्यिक न्यायालय, आगरा, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आगरा तथा पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित हो।

नोडल आफिसर, कम्प्यूटर इस आदेश को जनपद न्यायालय, आगरा की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। माननीय उच्च न्यायालय सूचना प्रेषित की जाये।

तदनुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।

  
31/01/2024  
(विवेक संगल)